राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2488/2011/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, डूंगरपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 मासटेक टेक्नोलोजिस प्रा0लि0,
अलवर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 110/15/आरवेट/2009–10/10–11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 07.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, डूंगरपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 07.03.2009 को तलोजा से अलवर जाते समय बिछिवाड़ा में वाहन संख्या आरजे–32जी/ए–0665 को चैक किया गया। सशक्त अधिकारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने जी.आर.नं0 डीएलवी 22–बी–969, इन्वॉयस नं. 0310434 दिनांक 05.03.2009, मै0 इस्पात इण्ड लि0 की टेस्ट रिपोर्ट व शासन सचिव वित्त(राजस्व) विभाग का पत्र दिनांक 30.08.2008 आदि दस्तावेज पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि उक्त दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वेट–47 संलग्न नहीं पाया गया। इस प्रकार वेट–47 नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(2) का उल्लंघन होने के कारण धारा 76(6) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री एन. के.शर्मा ने उपस्थित होकर लिखित जवाब के साथ विधिक घोषणा पत्र वेट–47 नं0–4179488 एवं वित्त विभाग का पत्र दिनांक 30.08.2008 की प्रति पेश की। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने परिवहनित माल कीमतन रू0 9,45,794/–पर, 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 2,83,738/–प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.04.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अतः विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ जी.आर.नं0 डीएलवी 22–बी–969 तथा इन्वॉयस नं. 0310434 दिनांक 05.03.2009 पूर्ण भरे हुए मौजूद थे। घोषणा पत्र वेट–47 गलती से भूलवश छूट गया था, जिसे बाद में सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था। व्यवहारी पंजीकृत व्यवहारी था एवं व्यवहारी की कर अपवंचना की कोई मनोभावना नही थी। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मै0 डी.पी.मेटल्स का निर्णय उक्त प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है। अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन कर आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 07.04.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष